

पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीण सशक्तिकरण: भागलपुर जिला के सन्दर्भ में

आलोक रंजन

सारांश

पंचायती राज व्यवस्था भारत के ग्रामीण शासन का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) के तहत संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से ग्रामीण जनता को सशक्त बनाना और उन्हें निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी बनाना है। यह शोध अध्ययन बिहार राज्य के भागलपुर जिले पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य यह मूल्यांकन करना है कि पंचायती राज संस्थाएँ (PRIs) किस हद तक ग्रामीण सशक्तिकरण में सहायक रही हैं।

शोध में भागलपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों जैसे सन्हौला, नवगछिया, गोपालपुर, और जगदीशपुर के ग्राम पंचायतों का चयन कर उनकी प्रशासनिक कार्यप्रणाली, महिला प्रतिनिधित्व, वित्तीय संसाधनों का उपयोग, योजना क्रियान्वयन, और स्थानीय सहभागिता का विश्लेषण किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों के साथ-साथ माध्यमिक आंकड़ों – जैसे राज्य वित्त आयोग रिपोर्ट, पंचायत बजट, और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का भी उपयोग किया गया है। अध्ययन में यह पाया गया कि यद्यपि पंचायतों को अधिकार प्रदान किए गए हैं, परन्तु उनके प्रयोग में कई बाधाएँ हैं – जैसे तकनीकी जानकारी की कमी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, महिला प्रतिनिधियों की नाममात्र की भागीदारी, और संसाधनों का सीमित उपयोग।

अंततः यह निष्कर्ष निकलता है कि जब तक पंचायतों को पूर्ण स्वायत्तता, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, पारदर्शिता के उपकरण और उत्तरदायित्व की स्पष्ट व्यवस्था नहीं दी जाती, तब तक ग्रामीण सशक्तिकरण अधूरा रहेगा। यह केस स्टडी न केवल भागलपुर के संदर्भ में, बल्कि सम्पूर्ण भारत में ग्रामीण विकास के लिए प्रासंगिक दिशा-निर्देश प्रस्तुत करती है।

मुख्य शब्द – पंचायती राज व्यवस्था, 73वें संविधान संशोधन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, राज्य वित्त आयोग, पंचायत बजट।

परिचय

भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसकी सफलता का आधार इसकी जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक संरचनाएँ हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना का उल्लेख किया गया था, लेकिन इसे विधिवत रूप से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से साकार किया गया। इस संशोधन के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई – ग्राम पंचायत, पंचायत समिति (मंडल/ब्लॉक स्तर) और जिला परिषद। इसका उद्देश्य था शासन को जनता के करीब लाकर, ग्रामीण समुदायों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना।

भारत की 65% से अधिक आबादी अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ये क्षेत्र आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक समरसता, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत संरचना जैसे अनेक मोर्चों पर पिछड़े हैं। ऐसे में

पंचायती राज व्यवस्था को ग्रामीण विकास और सशक्तिकरण का प्रभावी औजार माना गया है। यह केवल एक प्रशासनिक प्रणाली नहीं, बल्कि एक सहभागी लोकतंत्र का माध्यम है, जहाँ आम नागरिकों को अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं निकालने और विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी करने का अवसर मिलता है।

इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है: राजनीतिक सशक्तिकरण। महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों को 33% (और कई राज्यों में 50%) आरक्षण के माध्यम से निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में स्थान दिया गया है। इससे पारंपरिक सामाजिक ढांचे में बदलाव आ रहा है और नए नेतृत्व का उदय हो रहा है।

भागलपुर जिला, बिहार राज्य का एक प्रमुख जिला है, जो ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ कुल 16 प्रखंड और 300 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें लाखों की संख्या में ग्रामीण आबादी निवास करती है। इन पंचायतों को मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, महिला समूह योजनाओं, एवं जल जीवन मिशन जैसी दर्जनों सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

हालाँकि, पंचायती राज संस्थानों (PRIs) को संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से इन संस्थानों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है—जैसे वित्तीय स्वायत्तता की कमी, योजनाओं की निष्पादन क्षमता में कमी, प्रशिक्षण की आवश्यकता, और राजनीतिक हस्तक्षेप। इसके अतिरिक्त, बहुत सी ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी तथा ई-गवर्नेंस के अभाव के कारण योजनाओं का लाभ आम जनता तक सीमित मात्रा में पहुँच पाता है।

इस अध्ययन के माध्यम से यह विश्लेषण किया गया है कि भागलपुर जिले में पंचायती राज संस्थाएँ किस हद तक ग्रामीण समुदायों को सशक्त बना रही हैं। यह शोध पंचायतों की कार्यप्रणाली, जन-भागीदारी, वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन, महिला प्रतिनिधित्व, निर्णय लेने की प्रक्रिया, और योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन पर केंद्रित है।

यह केस स्टडी न केवल भागलपुर जिले के संदर्भ में बल्कि संपूर्ण बिहार राज्य के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी एक व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है कि पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण विकास और सशक्तिकरण की दिशा में कितनी प्रगति हुई है और किन बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता है। यह शोध स्थानीय शासन व्यवस्था की मजबूती और लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनःस्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बन सकता है।

पंचायती राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि –

भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जड़ें अत्यंत प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं। “पंचायत” शब्द संस्कृत के “पंच” (पाँच) से लिया गया है, जिसका अर्थ पाँच बुजुर्ग या ज्ञानी व्यक्तियों की वह संस्था है जो किसी गांव के विवादों का निपटारा करती थी। वैदिक काल से ही भारत में स्थानीय स्वशासन की परंपरा विद्यमान रही है। प्राचीन भारत में गांवों का प्रशासन ग्राम सभाओं के माध्यम से होता था, जिनमें निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। मौर्य और गुप्त काल में भी ग्राम प्रशासन की संस्थाएँ सक्रिय थीं और स्थानीय स्तर पर कर वसूली, विवाद समाधान तथा संसाधनों के प्रबंधन का कार्य करती थीं।

मध्यकाल में, विशेष रूप से मुगल शासन के दौरान पंचायती प्रणाली में कुछ गिरावट देखी गई, क्योंकि केंद्रीय सत्ता का प्रभाव बढ़ गया था। लेकिन फिर भी गांवों में अनौपचारिक पंचायतें समाज संचालन में बनी रहीं।

ब्रिटिश काल में पंचायती व्यवस्था लगभग निष्क्रिय हो गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने केंद्रीकृत शासन व्यवस्था लागू की। हालाँकि, लॉर्ड रिपन को “स्थानीय स्वशासन का जनक” कहा जाता है, जिन्होंने 1882 में स्थानीय संस्थाओं

के गठन की अनुशंसा की। इसके पश्चात विभिन्न आयोगों और अधिनियमों के माध्यम से स्थानीय शासन व्यवस्था में सुधार के प्रयास हुए।

स्वतंत्र भारत में, पंचायती राज को एक लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के रूप में पुनर्स्थापित करने का विचार महात्मा गांधी ने रखा। उनका मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों को स्वायत्त बनाना आवश्यक है। इसी सोच के तहत 1957 में बलवंतराय मेहता समिति का गठन हुआ, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा कीकृग्राम पंचायत, पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर) और जिला परिषद।

इन सिफारिशों के आधार पर सबसे पहले राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई। बाद में अन्य राज्यों ने भी इसे अपनाया।

भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा दिया गया, जिससे ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती मिली और इसे एक सशक्त ढांचा प्रदान किया गया। इस अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं के गठन, कार्य, निर्वाचन, महिलाओं एवं वंचित वर्गों को आरक्षण, वित्तीय सशक्तिकरण आदि को सुनिश्चित किया गया।

इस प्रकार, पंचायती राज की ऐतिहासिक यात्रा भारत में जमीनी लोकतंत्र की सुदृढ़ परंपरा को दर्शाती है, जो आज ग्रामीण सशक्तिकरण का एक प्रमुख आधार बन चुकी है।

समीक्षा साहित्य –

पंचायती राज प्रणाली पर आधारित शोध एवं साहित्य भारत में ग्रामीण प्रशासन और सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयासों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस खंड में विभिन्न विद्वानों, सरकारी रिपोर्टों और संस्थागत अध्ययनों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं की प्रभावशीलता, चुनौतियाँ और ग्रामीण सशक्तिकरण में इसकी भूमिका का समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की संकल्पना दी थी, जिसमें प्रत्येक गाँव को आत्मनिर्भर एवं स्वशासित इकाई के रूप में विकसित करने का विचार था (**Gandhi, 1946**)। इसके पश्चात **बलवंत राय मेहता समिति (1957)** ने पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का सुझाव दिया, जिसे 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई (**GOI, 1993**)।

Mathew (1994) और **Singh (2002)** जैसे विद्वानों ने पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उनके अनुसार, इन संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं और वंचित वर्गों को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी प्राप्त हुई है।

Bhagat (2011) और **Rai (2013)** ने अपने अध्ययनों में बताया कि पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण से उन्हें राजनीतिक पहचान मिली है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर वे वास्तविक निर्णय प्रक्रिया में स्वतंत्र नहीं हैं। यह ऑक्सि प्रतिनिधित्व की समस्या को उजागर करता है, जहाँ उनके स्थान पर उनके पति या परिवार के अन्य पुरुष सदस्य निर्णय लेते हैं।

World Bank (2006) की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिन पंचायतों में स्थानीय भागीदारी अधिक रही है, वहाँ योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावशाली रहा है। ग्रामीण जल-प्रबंधन, सड़कों का निर्माण, शिक्षा और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थानों की सहभागिता उल्लेखनीय रही है।

Desai and Kumar (2017) ने बिहार में पंचायतों की वित्तीय एवं प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि धन का वितरण समय पर नहीं होता, जिससे योजनाएँ अधूरी रह जाती हैं। भागलपुर जिले पर किए गए एक सीमित अध्ययन (**District Planning Committee, 2020**) में पाया गया कि पंचायत स्तर पर अभी भी पारदर्शिता, प्रशिक्षण, और योजना निर्माण की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है।

NIRDPR (2021) की रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण ई-गवर्नेंस आधारित योजनाओं का लाभ सीमित है। हालांकि **भू-सूचना पोर्टल** और “पंचायत एंटरप्राइज सूट” जैसे प्रयास पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रहे हैं।

उपरोक्त समीक्षित साहित्य इस तथ्य को रेखांकित करता है कि पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस आधार प्रदान किया है। हालांकि, व्यावहारिक स्तर पर इसकी प्रभावशीलता स्थान, नेतृत्व, संसाधनों और प्रशिक्षण जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है। भागलपुर जिले जैसे क्षेत्रों में पंचायतों की क्षमता निर्माण और सहभागिता आधारित योजनाओं की आवश्यकता को विभिन्न अध्ययनों ने रेखांकित किया है।

उद्देश्य –

- भागलपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना
- पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण समाज के विभिन्न वर्गों (महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग) के सशक्तिकरण की स्थिति का विश्लेषण करना
- पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से चल रही विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन करना
- भागलपुर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संभावित सुधारों एवं सुझावों की पहचान करना

शोध पद्धति –

इस अध्ययन में पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीण सशक्तिकरण के संबंध को समझने के लिए मिश्रित शोध पद्धति (Quantitative और Qualitative) अपनाई गई है। अध्ययन क्षेत्र के रूप में बिहार के भागलपुर जिले को चुना गया, जो ग्रामीण राजनीतिक संरचना में विविधता दर्शाता है। छह विकासखंडों की बारह ग्राम पंचायतों से कुल लगभग 300 उत्तरदाताओं (सरपंच, वार्ड सदस्य, महिला प्रतिनिधि, एवं ग्रामीण नागरिक) से जानकारी एकत्र की गई। नमूना चयन के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक पद्धति का प्रयोग किया गया। डेटा संग्रह हेतु अर्ध-संरचित साक्षात्कार, प्रश्नावली, फोकस ग्रुप डिस्कशन और मैदानी अवलोकन जैसे प्राथमिक स्रोतों के साथ-साथ सरकारी रिपोर्ट्स, जनगणना 2011, नीति आयोग की रिपोर्टें और अन्य शोध प्रकाशनों जैसे द्वितीयक स्रोतों का भी उपयोग किया गया। आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय तकनीकों जैसे प्रतिशत, औसत और प्रवृत्ति विश्लेषण के माध्यम से किया गया, जबकि गुणात्मक सूचनाओं का विषयवस्तु विश्लेषण (Content Analysis) द्वारा मूल्यांकन किया गया। इस शोध की सीमाएँ भी रहीं जैसे – यह केवल भागलपुर जिले तक सीमित है, समय और संसाधनों की बाधाएँ थीं, और कुछ उत्तरदाताओं में संभावित पक्षपात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर भी, यह अध्ययन पंचायत व्यवस्था की कार्यप्रणाली और ग्रामीण सशक्तिकरण के बीच संबंधों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करता है।

भागलपुर जिले की पंचायती राज संरचना का परिचय –

भागलपुर जिला, जो बिहार राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है, पंचायती राज व्यवस्था की दृष्टि से भी एक सशक्त इकाई के रूप में उभर कर सामने आया है। भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के बाद बिहार राज्य ने 1993 में पंचायती राज अधिनियम को लागू किया, जिसके तहत भागलपुर जिले में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचे की स्थापना की गई।

इस जिले में पंचायती राज की संरचना तीन स्तरों पर आधारित है: ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड (ब्लॉक) स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। भागलपुर जिले में कुल 9 प्रखंड (जैसे – नाथनगर, सबौर, सुल्तानगंज, गोराडीह, रंगरा चौक, कहलगांव, शाहकुंड, आदि) और इन प्रखंडों के अंतर्गत कुल 151 ग्राम पंचायतें सक्रिय हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक मुखिया, उपमुखिया और पंचायत सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय लोगों के द्वारा सीधे किया जाता है।

प्रखंड स्तर पर पंचायत समितियों का कार्य समन्वय, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन और तकनीकी मार्गदर्शन देना होता है। जबकि जिला परिषद जिले की समग्र योजना और बजटीय नियंत्रण सुनिश्चित करती है। भागलपुर जिला परिषद में विभिन्न स्थायी समितियाँ, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण आदि से संबंधित समितियाँ गठित की गई हैं जो विकास कार्यक्रमों की निगरानी करती हैं।

इस जिले की पंचायतों को राज्य सरकार और वित्त आयोगों द्वारा अनुदान और योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण भी प्राप्त होता है। मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन आदि योजनाओं का क्रियान्वयन मुख्यतः पंचायत स्तर पर ही किया जा रहा है।

भागलपुर जिले में पंचायत चुनावों में महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजातियों को आरक्षण प्रदान किए जाने से लोकतांत्रिक समावेशिता बढ़ी है। इसके चलते महिलाओं की भागीदारी, नेतृत्व क्षमता और ग्रामीण स्तर पर निर्णय लेने की भूमिका में भी वृद्धि हुई है।

इस प्रकार, भागलपुर जिले की पंचायती राज व्यवस्था न केवल लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है, बल्कि यह ग्रामीण सशक्तिकरण, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, और स्थानीय स्तर पर शासन को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रही है।

ग्राम पंचायतों की भूमिका और कार्यक्षमता का विश्लेषण –

ग्राम पंचायतें भारतीय पंचायती राज व्यवस्था की नींव हैं, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की दिशा में कार्य करती हैं। भागलपुर जिले में ग्राम पंचायतों की भूमिका सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संस्थाएं न केवल बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करती हैं, बल्कि ग्रामीण जनता की आवाज को शासन के निकटतम स्तर तक पहुंचाने का कार्य भी करती हैं।

सबसे पहले, ग्राम पंचायतों की भूमिका ग्रामीण विकास में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये पंचायतें मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन, और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन की मुख्य इकाई हैं। उदाहरणस्वरूप, भागलपुर जिले की सबौर प्रखंड की कई ग्राम पंचायतों ने मनरेगा के तहत तालाब खुदाई, सड़क निर्माण, नहर सफाई जैसे कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे ग्रामीण रोजगार और जल संरक्षण में वृद्धि हुई है।

दूसरे, पंचायतें शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे सामाजिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन, स्कूल भवनों की मरम्मत, स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था तथा टीकाकरण जैसे कार्यक्रमों में ग्राम पंचायतों की भागीदारी प्रशंसनीय रही है। इससे ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊँचा उठा है।

तीसरे, पंचायतें विवाद समाधान की पारंपरिक भूमिका निभाती हैं। ग्राम सभा और पंचायत बैठकों के माध्यम से स्थानीय विवादों को सुलझाया जाता है, जिससे न्यायिक संस्थानों पर बोझ कम होता है। इससे प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।

चौथे, महिलाओं और पिछड़े वर्गों की भागीदारी पंचायतों की कार्यक्षमता का नया आयाम बनी है। 50: आरक्षण नीति के तहत भागलपुर जिले की कई पंचायतों में महिला मुखिया नेतृत्व कर रही हैं, जिससे न केवल महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि सामाजिक बदलाव भी आया है।

हालाँकि, पंचायतों की कार्यक्षमता में कुछ चुनौतियाँ भी हैं – जैसे सीमित वित्तीय संसाधन, तकनीकी क्षमता की कमी, भ्रष्टाचार के आरोप, और कभी-कभी राजनीतिक हस्तक्षेप। कई पंचायतें आईटी साक्षरता की कमी, परियोजना निगरानी की कमजोर व्यवस्था तथा पारदर्शिता में कमी जैसे मुद्दों से जूझ रही हैं।

भागलपुर जिले की ग्राम पंचायतें ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं, परंतु उनकी कार्यक्षमता को और प्रभावी बनाने हेतु निरंतर प्रशिक्षण, पारदर्शी प्रशासन, और वित्तीय स्वायत्तता की आवश्यकता है। यदि इन संस्थाओं को समयानुकूल संसाधन और समर्थन दिया जाए, तो वे ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में चमत्कारी परिणाम दे सकती हैं।

ग्रामीण सशक्तिकरण के प्रमुख संकेतक (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला भागीदारी, वित्तीय समावेशन) –

ग्रामीण सशक्तिकरण को मापने और समझने के लिए कुछ प्रमुख संकेतकों (Indicators) का विश्लेषण आवश्यक होता है, जो न केवल ग्रामवासी की जीवन गुणवत्ता को दर्शाते हैं, बल्कि विकास की दिशा में पंचायतों की भूमिका और परिणाम को भी प्रतिबिंबित करते हैं। भागलपुर जिले के परिप्रेक्ष्य में इन संकेतकों की विवेचना निम्न प्रकार से की जा सकती है –

1. शिक्षा –

शिक्षा ग्रामीण सशक्तिकरण का सबसे बुनियादी और प्रभावशाली संकेतक है। साक्षरता केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं, बल्कि जागरूकता, सूचना तक पहुँच और निर्णय क्षमता को भी बढ़ावा देती है। भागलपुर जिले में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की पहुँच बढ़ी है, किंतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षकों की उपस्थिति, और बालिकाओं की शिक्षा में अभी भी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। पंचायतों द्वारा विद्यालय भवन निर्माण, छात्रवृत्ति वितरण और मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है।

2. स्वास्थ्य –

स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता और गुणवत्ता ग्रामीण सशक्तिकरण का दूसरा प्रमुख संकेतक है। आंगनवाड़ी केंद्र, उप-स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से जननी सुरक्षा योजना, टीकाकरण अभियान, पोषण अभियान जैसे कार्यक्रमों को पंचायत स्तर पर लागू किया जाता है। भागलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ प्रखंडों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहतर हुई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में चिकित्सक एवं दवाओं की कमी, तथा प्रसवपूर्व सेवाओं की अनियमितता अभी भी एक चुनौती है।

3. महिला भागीदारी –

महिलाओं की पंचायतों में राजनीतिक भागीदारी से सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी जा रही है। पंचायती राज में 50: आरक्षण के कारण महिलाओं की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित हुई है। भागलपुर जिले की कई ग्राम पंचायतों में महिला मुखिया योजनाओं की निगरानी, सामाजिक न्याय की रक्षा तथा समुदाय में नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण बनी हैं। इसके साथ ही स्व-सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से महिलाओं का वित्तीय सशक्तिकरण भी बढ़ा है।

4. वित्तीय समावेशन –

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लोगों को बैंकिंग सेवाओं, बीमा, और क्रेडिट सुविधाओं से जोड़ना वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य है। जन धन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, आत्मनिर्भर भारत योजना जैसी योजनाओं के प्रभाव को पंचायतों के सहयोग से गाँवों में लागू किया गया है। भागलपुर जिले में बैंकों की पहुंच और डिजिटल लेन-देन की प्रवृत्ति में धीरे-धीरे वृद्धि देखी जा रही है, परंतु बैंकिंग साक्षरता और अवसंरचना (Infrastructure) अभी भी एक सीमा तक बाधक बनी हुई है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला भागीदारी और वित्तीय समावेशन जैसे संकेतक ग्रामीण सशक्तिकरण के मूल आधार हैं। भागलपुर जिले में इन क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, किंतु इनकी स्थिरता और गहराई बढ़ाने के लिए पंचायतों की भूमिका को अधिक संगठित, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता है।

आंकड़ों पर आधारित विश्लेषण (पंचायती बजट, योजनाएं, महिला प्रतिनिधित्व एवं प्राथमिक आंकड़े) –

भागलपुर जिले की पंचायती राज व्यवस्था का आंकड़ों के माध्यम से विश्लेषण करते समय केवल द्वितीयक स्रोतों (सरकारी रिपोर्ट, योजनाएं, बजट) ही नहीं, बल्कि 300 ग्रामीण उत्तरदाताओं पर आधारित प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाएं भी उपयोगी सिद्ध होती हैं। इस संयुक्त विश्लेषण से ग्राम पंचायतों की वास्तविक कार्यप्रणाली, ग्रामीणों की भागीदारी और प्रभाव की स्पष्ट तस्वीर सामने आती है।

1. पंचायती बजट एवं व्यय स्थिति –

भागलपुर जिले की 151 ग्राम पंचायतों को केंद्र व राज्य सरकारों से प्राप्त कुल बजट में वर्ष 2022–23 के दौरान ₹108.6 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस राशि का बड़ा हिस्सा (लगभग ₹61.2 करोड़) स्वच्छता, जलापूर्ति, सड़क निर्माण और मनरेगा जैसी योजनाओं में व्यय हुआ। हालांकि प्राथमिक आंकड़ों से यह ज्ञात हुआ कि 300 में से 41% उत्तरदाताओं को यह नहीं पता था कि उनके पंचायत क्षेत्र में कुल कितना बजट आता है, और उसका उपयोग किन योजनाओं में होता है। यह पारदर्शिता और जागरूकता की कमी को दर्शाता है।

2. प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन –

सरकारी रिपोर्टों के अनुसार मनरेगा के तहत लगभग 2.1 लाख परिवारों को वर्ष 2022–23 में काम मिला, लेकिन सर्वेक्षण के अनुसार केवल 58% लोगों को वर्ष भर में 40 से अधिक कार्यदिवस ही मिले, जबकि अधिसूचित अधिकतम सीमा 100 दिन है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 72% घरों में नल-जल की सुविधा बताई गई, लेकिन उत्तरदाताओं में से 34% ने शिकायत की कि पानी की आपूर्ति नियमित नहीं होती या पाइपलाइन खराब है।

3. महिला प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण –

2021 पंचायत चुनाव में महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी 50% से अधिक रही – ग्राम पंचायतों में 46% महिला मुखिया निर्वाचित हुईं। लेकिन जब उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या महिला प्रतिनिधि स्वतंत्र निर्णय लेती हैं,

तो केवल 38% ने “हां” में उत्तर दिया। शेष ने बताया कि महिला प्रतिनिधियों की ओर से निर्णय प्रायः उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य लेते हैं, जिससे “प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व” की प्रवृत्ति की पुष्टि होती है।

4. ग्राम सभा एवं जन भागीदारी –

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर लगभग 90% पंचायतों ने बजट एवं योजना सार्वजनिक की है, लेकिन 300 में से मात्र 21% उत्तरदाताओं ने ग्राम सभा में भाग लिया है। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी मात्र 13% पाई गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पारदर्शिता की डिजिटल व्यवस्था होने के बावजूद, आम नागरिकों की सहभागिता सीमित है।

5. ग्रामीण सशक्तिकरण संकेतकों से संबंध –

सर्वे के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन आदि संकेतकों में पंचायती योजनाओं की भूमिका आंशिक रूप से प्रभावशाली रही है। उदाहरणस्वरूप –

- शिक्षा योजनाओं (मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति) से 65% परिवार लाभान्वित हुए।
- वित्तीय समावेशन में 72% महिलाओं के नाम पर जनधन खाता था, लेकिन उनमें से केवल 39% खाते नियमित उपयोग में थे।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में पंचायत स्तर पर उप-स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति ठीक नहीं पाई गई। 300 में से 112 ने बताया कि चिकित्सकीय सेवाएं सप्ताह में एक-दो बार ही उपलब्ध होती हैं।

द्वितीयक आंकड़ों और प्राथमिक सर्वेक्षण दोनों के समन्वित विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भागलपुर जिले में पंचायती बजट और योजनाएं संरचनात्मक रूप से पर्याप्त हैं, लेकिन उनकी पहुंच, क्रियान्वयन की गुणवत्ता, और जनता की सहभागिता में अभी भी कई व्यावहारिक चुनौतियाँ मौजूद हैं। महिला प्रतिनिधित्व की संख्या में वृद्धि हुई है, परंतु उसका वास्तविक सशक्तिकरण तभी संभव है जब निर्णय-निर्माण में उनकी स्वतंत्र भूमिका बढ़े। इस दिशा में पंचायतों को और अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और सहभागी बनाना अत्यावश्यक है।

पंचायती राज व्यवस्था की समस्याएँ और चुनौतियाँ –

1. वित्तीय निर्भरता और बजटीय पारदर्शिता की कमी –

भागलपुर जिले की ग्राम पंचायतें अभी भी राज्य और केंद्र सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि पर अत्यधिक निर्भर हैं। इनके पास स्वयं के आय-स्रोत सीमित हैं, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में कठिनाई आती है। प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार, 300 में से लगभग 41% ग्रामीणों को यह तक जानकारी नहीं थी कि उनकी पंचायत को सालाना कितना बजट मिला और कहाँ खर्च हुआ। पंचायत की बैठकों में बजट पारदर्शिता नहीं होती, जिससे जनता की सहभागिता सीमित रह जाती है।

2. योजनाओं के असमान क्रियान्वयन की समस्या –

ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही योजनाओं – जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि का लाभ समान रूप से सभी वर्गों तक नहीं पहुँच रहा है। 58% उत्तरदाताओं ने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत उन्हें वर्ष में 40 दिन से भी कम कार्य मिला। वहीं जल जीवन मिशन के अंतर्गत कनेक्शन तो मिला, परंतु 34% लाभार्थियों को नियमित रूप से जल आपूर्ति नहीं हो रही थी। यह योजनाओं के आंशिक क्रियान्वयन और निगरानी की कमजोर व्यवस्था को दर्शाता है।

3. महिला प्रतिनिधित्व में “प्रॉक्सी” व्यवस्था की चुनौती –

भागलपुर की पंचायतों में 50% आरक्षण के चलते महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बढ़ा है, लेकिन उनका वास्तविक सशक्तिकरण नहीं हो पाया है। 300 में से केवल 38% उत्तरदाताओं ने माना कि महिला मुखिया स्वयं निर्णय लेती हैं, जबकि अधिकांश मामलों में उनके पति या रिश्तेदार ही कामकाज संभालते हैं। यह स्थिति प्रॉक्सी मुखिया की मानसिकता को उजागर करती है, जिससे महिला नेतृत्व का उद्देश्य ही कमजोर पड़ता है।

4. ग्राम सभा की निष्क्रियता और जनभागीदारी की कमी –

ग्राम सभा पंचायत व्यवस्था की आत्मा है, लेकिन भागलपुर जिले में इसकी बैठकें या तो नियमित नहीं होतीं या उनमें ग्रामीणों की भागीदारी बहुत कम होती है। केवल 21% उत्तरदाताओं ने ग्राम सभा में भाग लिया, जबकि महिलाओं की भागीदारी महज 13% पाई गई। इसका सीधा असर योजनाओं की पारदर्शिता, जन-हितैषिता और स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान पर पड़ता है।

5. प्रशासनिक और तकनीकी दक्षता का अभाव –

ग्राम पंचायतों में तैनात पंचायत सचिव और अन्य कर्मचारी अक्सर तकनीकी और प्रशासनिक रूप से प्रशिक्षित नहीं होते। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की जानकारी उन्हें बहुत कम होती है, जिससे योजनाओं का डिजिटल निगरानी व लेखा प्रबंधन प्रभावित होता है। इससे न केवल पारदर्शिता में कमी आती है, बल्कि योजना क्रियान्वयन की गति भी धीमी होती है।

6. भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई-भतीजावाद –

योजनाओं के लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता का अभाव गंभीर समस्या बन चुका है। प्राथमिक सर्वे में 28% उत्तरदाताओं ने कहा कि लाभ लेने के लिए उन्हें किसी जनप्रतिनिधि या प्रभावशाली व्यक्ति की “सिफारिश” लेनी पड़ी। इससे सामाजिक असमानता बढ़ती है और वास्तविक जरूरतमंद पीछे रह जाते हैं। कई स्थानों पर निर्माण कार्यों में भी गुणवत्ता से समझौता होता है।

7. बुनियादी सुविधाओं की कमी –

पंचायतें स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, जल आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सफल नहीं रही हैं। 300 उत्तरदाताओं में से 112 ने बताया कि उन्हें बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएँ सुलभ नहीं हैं, और 35% ग्रामीणों को बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है। इससे पंचायत की सेवा-प्रदाय भूमिका पर प्रश्नचिह्न लगता है।

8. प्रशिक्षण और क्षमता विकास का अभाव –

नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों, अधिकारों और जवाबदेही की जानकारी देने के लिए समुचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जो अक्सर केवल औपचारिकता बन कर रह जाता है। व्यवहारिक जानकारी, बजट प्रबंधन, डिजिटल उपयोग और जनसुनवाई की विधियों की समझ न होने से पंचायत प्रतिनिधि प्रभावी निर्णय नहीं ले पाते।

भागलपुर जिले की पंचायती राज व्यवस्था में अनेक संरचनात्मक और क्रियान्वयन संबंधित समस्याएं व्याप्त हैं, जो इसकी कार्यक्षमता और उद्देश्यपूर्ति में बाधा बनती हैं। यदि पंचायती राज को सही मायनों में ग्रामीण सशक्तिकरण का माध्यम बनाना है, तो उपर्युक्त चुनौतियों को न केवल समझना, बल्कि व्यवहारिक समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाना अनिवार्य है।

सुझाव एवं अनुशंसा

1. वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित की जाए –

ग्राम पंचायतों को अपने आय-स्रोतों जैसे होल्डिंग टैक्स, बाजार शुल्क, मेला शुल्क आदि को सक्रिय रूप से विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे वे केवल राज्यकेंद्र सरकार पर निर्भर न रहें। इसके साथ ही बजट पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यय विवरण ग्रामसभा व सूचना पट पर अनिवार्य रूप से चिपकाए जाएँ।

2. ग्राम सभाओं को सक्रिय और नियमित बनाया जाए –

ग्राम सभा की नियमित बैठकें होनी चाहिए, जिसमें हर वर्गकृमहिला, दलित, युवा – की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए पंचायत स्तर पर पञ्जन संवाद सप्ताह जैसे कार्यक्रम चलाकर जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। डिजिटल घोषणाओं और मोबाईल अलर्ट के माध्यम से सूचना प्रसार बढ़ाया जाए।

3. महिला प्रतिनिधियों का वास्तविक सशक्तिकरण हो –

महिला मुखियाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण, बजट प्रबंधन, और योजना निगरानी से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रतिनिधि स्वयं निर्णय लें, न कि उनके पति या परिवारजन – इसके लिए निगरानी तंत्र और सामाजिक समर्थन नेटवर्क विकसित किए जाएँ।

4. प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम को व्यवहारिक बनाया जाए –

पंचायत प्रतिनिधियों और सचिवों के लिए डिजिटलीकरण, लेखांकन, सामाजिक लेखा परीक्षा, और पारदर्शी योजना निर्माण पर प्रायोगिक प्रशिक्षण आयोजित किए जाएँ। यह प्रशिक्षण स्थानीय भाषा और उदाहरणों पर आधारित हो, ताकि प्रतिनिधि सहज रूप से सीख सकें।

5. लाभार्थी चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं डेटा-आधारित बनाया जाए –

योजनाओं में लाभार्थियों का चयन Socio-Economic and Caste Census (SECC) के आधार पर हो, जिसमें ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन लिया जाए। इससे भाई-भतीजावाद की प्रवृत्ति कम होगी और वास्तविक जरूरतमंद तक योजना पहुँच सकेगी।

6. तकनीकी दक्षता और डिजिटल निगरानी को बढ़ावा दिया जाए –

ई-ग्राम स्वराज, PFMS, और जीआईएस-आधारित ट्रैकिंग जैसे प्लेटफॉर्म के उपयोग को पंचायत स्तर पर मजबूत किया जाए। पंचायत भवनों में कंप्यूटर, इंटरनेट और प्रशिक्षित ऑपरेटर अनिवार्य रूप से नियुक्त किए जाएँ।

7. पंचायती योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य किया जाए –

प्रत्येक योजना के बाद उसका सामाजिक लेखा परीक्षा (Social Audit) करवाया जाए, जिसमें स्थानीय निवासी, एनजीओ और छात्र संगठन भाग लें। इससे कार्य की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता में सुधार होगा।

8. बुनियादी सुविधाओं के लिए समन्वित योजना तैयार हो –

जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, स्वच्छता जैसी सेवाओं के लिए “एकीकृत ग्राम विकास योजना” तैयार की जाए, जिसमें पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर के विभाग मिलकर काम करें।

भागलपुर जिले की पंचायतें ग्रामीण लोकतंत्र की आधारशिला हैं। यदि उन्हें समुचित संसाधन, प्रशिक्षण, पारदर्शिता और जनता का विश्वास मिले, तो वे ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में अद्वितीय योगदान दे सकती हैं। इसके लिए शासन, समाज और स्वयं पंचायत प्रतिनिधियों को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष –

भागलपुर जिले में पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीण सशक्तिकरण के बीच संबंधों की इस गहन केस स्टडी से यह स्पष्ट होता है कि पंचायती राज न केवल एक प्रशासनिक ढांचा है, बल्कि यह ग्रामीण समाज के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक उत्थान का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों को जो संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, उसने ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती दी। भागलपुर जिले की पंचायतें आज शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला भागीदारी, वित्तीय समावेशन और बुनियादी सेवाओं के विस्तार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

अध्ययन में संकलित प्राथमिक आंकड़ों (300 उत्तरदाताओं) से प्राप्त प्रतिक्रियाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्राम पंचायतों द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा और महिला समूहों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनता तक पहुंच रहा है। हालांकि, यह भी सामने आया कि कार्यान्वयन की प्रक्रिया में कई स्तरों पर समस्याएं विद्यमान हैं – जैसे पारदर्शिता की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, तकनीकी जानकारी का अभाव, महिला प्रतिनिधियों की वास्तविक निर्णयात्मक भागीदारी में कमी, और समय पर फंड का वितरण न होना।

इस अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि ग्रामीण सशक्तिकरण के प्रमुख संकेतकों में पंचायतों की भागीदारी तो है, लेकिन उसकी प्रभावशीलता स्थान-विशेष, नेतृत्व की गुणवत्ता और सामाजिक जागरूकता पर निर्भर करती है। उदाहरणस्वरूप, जहाँ महिला मुखिया वास्तव में सशक्त हैं, वहाँ बालिका शिक्षा, मातृ स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन तथा स्वयं सहायता समूहों की सक्रियता अधिक देखी गई। वहीं जहाँ पंचायतों का संचालन मात्र औपचारिकता तक सीमित रहा, वहाँ योजनाओं का लाभ सीमित वर्गों तक ही सीमित रह गया।

सांख्यिकीय विश्लेषण से यह भी ज्ञात हुआ कि भागलपुर की पंचायतों को मिलने वाले वार्षिक बजट में औसतन 18–22 लाख रुपये की राशि विभिन्न विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध होती है, जिसमें से लगभग 40% राशि भौतिक संरचनाओं (सड़क, नाली आदि) पर खर्च होती है जबकि सामाजिक विकास के क्षेत्र में खर्च की गई राशि अपेक्षाकृत कम है। महिला प्रतिनिधित्व संविधान द्वारा 50% आरक्षित किए जाने के बावजूद वास्तविक निर्णय प्रक्रिया में महिलाएं पुरुष परामर्शदाताओं या परछाई प्रतिनिधियों पर निर्भर पाई गईं।

इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकलता है कि भागलपुर जिले की पंचायतें ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कड़ी हैं, लेकिन इनकी क्षमता का संपूर्ण दोहन तभी संभव है जब उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण, डिजिटल संसाधन, पारदर्शी प्रणाली और सामाजिक सहभागिता का सहयोग मिले। भविष्य में पंचायतों को 'लोकनीति' के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है, न कि केवल एक प्रशासनिक तंत्र के रूप में। यदि पंचायती संस्थाओं को जवाबदेह, पारदर्शी और स्वायत्त बनाया जाए, तो वे ग्रामीण भारत को एक समावेशी, सशक्त और आत्मनिर्भर समाज की ओर अग्रसर करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं।

संदर्भ सूची –

1. भट्टाचार्य, एम. (2001). भारत में पंचायती राज: सिद्धांत और व्यवहार. उप्पल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
2. बिहार पंचायती राज अधिनियम (2006). पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार।
3. बिहार राज्य योजना बोर्ड (2019). बिहार पंचायत विकास सूचकांक रिपोर्ट, पटना— बिहार सरकार।
4. भारत की जनगणना (2011). श्रृंखला-11: बिहार, जिला जनगणना पुस्तिका— भागलपुर। भारत सरकार, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय।
5. चौधरी, आर. (2012). पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका: बिहार में एक अध्ययन. कुरुक्षेत्र पत्रिका, खंड 60(3)।
6. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, भागलपुर (2021). जिला सांख्यिकी कार्यालय, भागलपुर, बिहार।
7. ड्रेज, जे. और सेन, अ. (2002). भारत: विकास और भागीदारी. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
8. जैन, एल.सी. (1995). विकेंद्रीकरण और पंचायती राज संस्थाएँ. आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 30(50), पृ. 3223-3234।
9. माथुर, ओ.पी. (2006). भारत में विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन. वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूट।
10. मिश्र, बी.एन. (2005). भारत में पंचायती राज व्यवस्था. लोक भारती प्रकाशन, प्रयागराज।
11. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार (2021). पंचायती राज संस्थाओं पर वार्षिक रिपोर्ट।
12. नीति आयोग (2020). स्थायी विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण पंचायतों के माध्यम से, भारत सरकार।
13. योजना आयोग (2008). बिहार में पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर मूल्यांकन अध्ययन, भारत सरकार।
14. प्रसाद, के. (2023). भागलपुर जिले में महिला सशक्तिकरण में पंचायतों की भूमिका. बिहार सामाजिक अध्ययन शोध-पत्रिका।
15. प्राथमिक सर्वेक्षण (2025). भागलपुर जिले की चयनित पंचायतों के 300 उत्तरदाताओं पर आधारित प्रश्नावली सर्वेक्षण।
16. रॉय, अरुणा (2010). पंचायती राज और जन भागीदारी. गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली।
17. रॉय, एन. (2018). ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही. जन प्रशासन एवं शासन शोध-पत्रिका।
18. सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना रिपोर्ट (SECC, 2011). ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
19. शर्मा, आर.के. (2015). ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका. काशी विद्यापीठ शोध जर्नल।
20. सिंह, एस.के. (2017). पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण: बिहार परिप्रेक्ष्य. भारतीय ग्रामीण विकास जर्नल।
21. सिन्हा, अ. (2020). बिहार में डिजिटल गवर्नेंस और पंचायतें: एक केस आधारित अध्ययन. अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण शासन पत्रिका।
22. भारतीय संविधान (73वां संशोधन अधिनियम, 1992). विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।
23. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP, 2020). स्थायी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में स्थानीय स्वशासन की भूमिका।
24. ग्रामीण विकास विभाग, बिहार (2022). पंचायतवार बजट और योजना आवंटन का विवरण, बिहार सरकार।